22/04/2021

क्रम सं0 तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई तारीख सहित
1	2	3

आदेश

प्रस्तुत आर0ई0 वाद सं0–10/2016–17 (शांति देवी एवं अन्य–बनाम–मडु राय एवं अन्य) आवेदिका–शांति देवी, पिता–स्व० नुनुलाल बैठा, पति–स्व० कमलाकांत रजक, साकिन–गोबरशाला, थाना–सारठ, अंचल–सारठ, जिला–देवघर के द्वारा दिनांक–19.05.2016 को न्यायालय में एक आवेदन दाखिल कर मौजा–गोबरशाला, थाना नम्बर–30, जमाबंदी नम्बर–36, दाग नम्बर–21 के रकवा–0.56 डी0 भूमि से विपक्षी–मडू राय एवं अन्य को संताल परगना कास्तकारी अधिनियम की धारा–20 एवं 42 के तहत् उच्छेद करने हेतु दाखिल आवेदन पत्र के आलोक में प्रारम्भ किया गया है।

प्राप्त आवेदन के आलोक में विपक्षी को नोटिश निर्गत कर कारण–पृच्छा की मांग करते हुए अंचल अधिकारी, सारठ से प्रतिवेदन की मांग की गई। अंचल अधिकारी, सारठ के पत्रांक–899/रा0 दिनांक–04.09.2019 एवं पत्रांक–206/रा0, दिनांक–26.02.2021 द्वारा जाँच प्रतिवेदन एवं विपक्षी से कारण–पृच्छा प्राप्त, जो अभिलेखबद्ध है।

उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ताओं को सुना एवं दाखिल कारण–पृच्छा एवं सूचिबद्ध कागजातों तथा अंचल अधिकारी, सारठ द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन का अवलोकन किया। अंचल अधिकारी, सारठ द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा–गोबरशाला, थाना नम्बर–30, जमाबंदी नम्बर–36, दाग नम्बर–21 कुल रकवा–0.56 डी0, किस्म–बाड़ी दोयम सर्वे खतियान के कैफियत कॉलम में बुलाकी बैठा वल्द बिहारी बैठा, साकिम–देह, जमाबंदी रैयत के नाम से दर्ज है। आवेदिका जमाबंदी रैयत के वंशज की पुत्री है। अंचल अधिकारी, सारठ द्वारा यह भी प्रतिवेदित किया गया है कि विपक्षीगण वर्णित स्थल पर मकान बनाकर तथा शेष जमीन बाड़ी के रूप में दखल भोग कर रहे है। विपक्षीगण द्वारा बताया गया कि विषयगत जमीन आपसी बदलनामा से प्राप्त है। उक्त आपसी बदलनामा मौजा–गोबरशाला, थाना नम्बर–30, जमाबंदी नम्बर–05, दाग नम्बर–65 रकवा– 0.76 डी0, किस्म–बाडी II जो सर्वे खतियान में कारू राय के नाम से दर्ज है, के साथ किया गया है। उक्त बदलेन जमाबंदी रैयत के वंशज सुशील कुमार राय के द्वारा किया गया है, जिसका एस0सी0 नं0–04/2005–06 में आदेश दिनांक–17.01.2018 द्वारा मामलें को खारिज किया गया है। आवेदित भूमि का किस्म रैयत जमाबंदी रैयत है, जो अहस्तान्तरणीय है। अंचल अधिकारी, सारठ द्वारा उपरोक्त जाँच प्रतिवेदन के आलोक में अग्रेतर आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रतिवेदन अग्रसारित किये है।

अतएव अंचल अधिकारी, सारठ का जाँच प्रतिवेदन एवं उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ता के दलील को सुनने तथा दाखिल कारण–पृच्छा एवं सूचिबद्ध कागजातो तथा अभिलेख का अवलोकन करने पर पाया गया कि उक्त वाद में आवेदिका वाद दाखिल करने के पश्चात् पिछले एक वर्षो से न्यायालय में उपस्थित नहीं हो रही है, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदिका को उक्त वाद में अभिरूची नहीं है। और न ही अपना पक्ष ही रख रही है। फलतः एकपक्षीय सुनवाई के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूँ कि उक्त वाद में कोई आदेश पारित करना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

Digitally signed by Saurabh Kumar Bhuwania
Date: 2021.11.29 14:25:23 +05:30
Location: 192.168.1.209

अतः उक्त वाद की कार्यवाही को समाप्त किया जाता है।

लेखापित एवं शुद्धित

अनुमण्डल पदाधिकारी
मधुपुर।

अनुमण्डल पदाधिकारी,
मधुपुर।